श्रम क०सं०–45/2025-133

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, लखीसराय के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) **08** श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू0 **50,000/–(पचास हजार रूपए)** प्रति कामगार की दर से कुल राशि: रू0 **4,00,000/–(चार लाख रूपए)**, अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:–

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/आधार नं0	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं0	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ नि :शक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व0 कांति देवी, 62, रामोतार राम, अ0 पि0 वर्ग	रामोतार राम, (पति) 236429580915	826 23.12.2025	ग्रा0–सतसंडा, पो0–मंझवे, था0–तेतरहट, प्र0–रामगढ़चौक, जिला–लखीसराय, 9931725686	**31140100003169**	BGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृशक मजदूर का कार्य
2	स्व0 नंदन पासवान, 39, अर्जुन पासवान, अनु0 जाति	रीना देवी, (पत्नी) 649979706795	827 23.12.2025	ग्रा0–रामनगर, पो0+था0+प्र0–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय, 6205485284	**31180131039599**	DBGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईट निर्माण में मजदुर का कार्य
3	स्व0 रूका देवी, 45, विनदेश्वरी पासवान, अनु0 जाति	विनदेश्वरी पासवान, (पति) 824969151638	828 23.12.2025	ग्रा0–रामनगर, पो0+था0+प्र0–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय, 8804687337	**31180131009402**	BGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृशक मजदूर का कार्य
4	स्व0 लेमु बिन्द, 55, खुसार बिन्द, अ0पि0 वर्ग	मुकुर देवी, (पत्नी) 713207335502	829 23.12.2025	ग्रा0–सुरारी इमामनगर, पो0–सुरारी इमामनगर, था0–हलसी, प्र0–रामगढ़चौक, जिला–लखीसराय, 7367884030	**31170100004788**	DBGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
5	स्व0 शकुन्तला देवी, 50, डोमन मांझी, अनु0 जाति	डोमन मांझी, (पति) 926788043078	834 26.12.2025	ग्रा0–तेतरहट, पो0+था0–तेतरहट, प्र0–रामगढ़चौक, जिला–लखीसराय, 9608468630	**31140110071938**	BGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
6	स्व0 करकु मांझी, 49, बिशो मांझी, अनु0 जाति	रेशमा देवी, (पत्नी) 469305641852	835 26.12.2025	ग्रा0+पो0–नन्दनामा, था0+प्र0–रामगढ़चौक, जिला–लखीसराय, 7539918041	**31220110034098**	BGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृशक मजदूर का कार्य
7	स्व0 कुशुम देवी, 58, अशोक पासवान, अनु0 जाति	अशोक पासवान, (पति) 574682792423	837 26.12.2025	ग्रा0–गोपालपुर, पो0–डुमरी, था0+प्र0–बड़हिया, जिला–लखीसराय, 7549298962	**31110110050050**	BGB PUNB0MBGB06	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, घरेलू कामगार का कार्य
8	स्व0 रंजू देवी, 40, सुरेन्द्र रविदास, अनु0 जाति	सुरेन्द्र रविदास, (पति) 913228084288	838 26.12.2025	ग्रा0+पो0–बहछा, था0+प्र0–हलसी, जिला–लखीसराय, 9262828189	**44638305604**	SBI SBIN0064916	रु0 50,000/– (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृशक मजदूर का कार्य

कुलः रू0/–4,00,000/–
(चार लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव–सह–सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/–
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :–श्रम क०सं०–45/2025–133 **पटना, दिनांक :– 02/02/2026**

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रू0 4,00,000/–(चार लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, लखीसराय/उप श्रमायुक्त, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

30/01/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 30-01-2026 12:51:49
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
Date: 02-02-2026 11:25:34
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक